

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार

व्यवहार वाद क्रमांक 29ए/2016
प्रस्तुति दिनांक-15.02.2017

- 1- हिरमोतीबाई बेवा चेतनलाल, उम्र 65 वर्ष, जाति लोधी,
- 2- राजेन्द्र वल्द चेतनलाल, उम्र 45 वर्ष,
- 3- नरेन्द्र वल्द चेतनलाल, उम्र 33 वर्ष,
सभी निवासी पालडोंगरी, तह0-लांजी, जिला बालाघाट।
- 4- दमयन्तीबाई जौजे ललित, उम्र 43 वर्ष, जाति लोधी,
- 5- राजकुमारी जौजे सुन्दर, उम्र 35 वर्ष, जाति लोधी, दोनों
निवास मदनमहल चौराहा जबलपुर, तह0-जिला जबलपुर।

-:: बनाम ::-

आवेदकगण।

- 1- भुनेश्वर वल्द केशोराव, उम्र 74 वर्ष, जाति लोधी,
- 2- यादोराव वल्द केशोराव, उम्र 60 वर्ष, जाति लोधी,
- 3- जनकराम वल्द केशोराव, उम्र 55 वर्ष, जाति लोधी,
नि0-पालडोंगरी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट।
- 4- निशीताबाई बेवा हुलासराम, उम्र 60 वर्ष, जाति लोधी,
- 5- हेमेन्द्र वल्द हुलासराम, उम्र 43 वर्ष, जाति लोधी,
- 6- इन्द्रजीत वल्द हुलासराम, उम्र 41 वर्ष, जाति लोधी,
- 7- मुन्नीबाई जौजे सुरेन्द्र, उम्र 39 वर्ष, जाति लोधी,
नि0-खरेगांव, तह0 लांजी, जिला बालाघाट।
- 8- डिलेश्वरीबाई जौजे केशवप्रसाद, उम्र 65 वर्ष, जाति
लोधी नि0-चुरली, तह0 लांजी, जिला बालाघाट।
- 9- देवकीबाई पति गोपाल, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
नि0-बिंझलगांव, तह0-लांजी, जिला बालाघाट।
- 10- सोनकुंवर जौजे चिन्तामन धामने, उम्र 47 वर्ष, लोधी,
निवासी ग्राम आवा, तह0-लांजी, जिला बालाघाट।
- 11- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट,

प्रतिवादीगण।


-:: आदेश ::-

(आज दिनांक 02/02/2018 को पारित)

01— वादीगण ने एक दीवानी दावा वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। साथ में वादीगण की ओर से एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन दिनांक 15.2.2017 को प्रस्तुत किया गया था जो कि आई.ए. नंबर-1 है उसका निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकार अपने पूर्वज सीताराम के रास्ते से आने वाले उत्तराधिकारी हैं। पक्षकार वादग्रस्त भूमि से भी पूर्व परिचित हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम पालडोंगरी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित है।

03— वादीगण की ओर से एक दीवानी दावा वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वादीगण की ओर से एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का दिनांक 15.2.2017 प्रस्तुत किया गया है जो कि आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका वंशवृक्ष निम्नानुसार है :-



04— आवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि ग्राम पालडोंगरी तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित भूमि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में केशोराव वल्द सीताराम एवं ज्ञानाबाई पिता चैतराम के नाम पर ग्राम करेंजा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित भूमि दर्ज रही है। आवेदन में ऐसा भी उल्लेख किया गया है

कि पक्षकारों के बीच अभी वादग्रस्त भूमियों का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 7 ने जनाबाई बेवा केशोराव की मृत्यु के बाद अलग-अलग खाते में नामांतरण करा लिया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 भुनेश्वर ने कंडिका-4अ के मुताबिक, प्रतिवादी क्रमांक-2 यादोराव ने कंडिका-4ब के मुताबिक, प्रतिवादी क्रमांक-3 जगताराम ने कंडिका-4स के मुताबिक ग्राम पालडोंगरी की भूमि, तथा प्रतिवादी क्रमांक-4 के पति एवं प्रतिवादी क्रमांक-5 से 7 के पिता हुलासराम ने कंडिका-4फ के मुताबिक ग्राम करेंजा की भूमि का नामांतरण करा लिया है साथ ही ग्राम पालडोंगरी में स्थित भूमि जिसका वर्णन कंडिका-5 में किया गया है, पर प्रतिवादी क्रमांक-1 भुनेश्वर, एवं चेतन, हुलासराम, यादोराव, जनकलाल, लिलेश्वरी, सोनकुंवर, देवकीबाई का नाम दर्ज है तथा कंडिका-6 में वर्णित भूमि पर हिरमोती, राजेन्द्र, दमयंती, राजकुमारी एवं नरेन्द्र का नाम दर्ज है। तहसीलदार लांजी के द्वारा जो बंटवारा आदेश दिनांक 31.10.2011 को पारित किया गया था उसके विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी लांजी की न्यायालय में पेश की गई। उसमें पारित आदेश दिनांक 17.2.2014 के आधार पर बटांकन कार्यवाही नायब तहसीलदार लांजी के न्यायालय में पेश की गई जो कि लम्बित है।

05— आवेदन में ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि पक्षकारों के मध्य जो हिस्सा उत्तराधिकार क्रम में होता है उस मुताबिक भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। मनमाने तरीके से भूमि का बंटवारा राजस्व अधिकारियों से मेल-मिलाप करके प्रभाव का दुरुपयोग करके कराया गया है तथा नामांतरण कराने के बाद प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज भूमियों को हस्तांतरित कर देने के फिराक में हैं। अगर वादग्रस्त भूमियों का हस्तांतरण किसी अन्य के पक्ष में कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्ण क्षति होगी, वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य असफल हो जायेगा। अतः निवेदन किया गया है कि वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश स्वीकार किया जाकर भूमि के हस्तांतरण पर प्रकरण के निराकरण तक के लिए रोक प्रभावी की जावे।

06— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 जो अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया है तथा

अतिरिक्त कथन में बताया गया है कि वादी क्रमांक-1 तथा शेष वादीगण के पिता चेतनलाल सगे भाई थे। चेतनलाल वगैरह 5 भाई एवं 3 बहनें थी जो केशोराव की संतान थीं। केशोराव की पत्नी अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-1 की माँ ज्ञानाबाई थी। केशोराव के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम पालडोंगरी में 36 एकड़ थी। ज्ञानाबाई 03 बहनें थीं उनके कोई भाई नहीं था ऐसी स्थिति में ज्ञानाबाई को 14 एकड़ भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई। ज्ञानाबाई की मृत्यु 30-35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। सभी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनने पर ग्राम पालडोंगरी एवं करंजा की भूमि का बंटवारा आपस में करने का तय हुआ। केशोराव ने अपने जीवनकाल में 02 एकड़ भूमि विक्रय कर दी थी तथा यादोराव के विवाह के समय 09 एकड़ भूमि विक्रय की गई। इस तरह केशोराव के नाम जो 36 एकड़ भूमि थी उसमें 22.50 एकड़ भूमि शेष बची उसमें से ढाई एकड़ भूमि चुन्नु महाजन को बिक्री की गई। इस तरह 20 एकड़ भूमि बची।

07— जवाब में ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि कालांतर में कृषि हेतु खाद्य, बीज, पानी एवं अन्य आवश्यकता होने पर पृथक-पृथक ऋण-पुस्तिका की आवश्यकता हुई तब 4-4 एकड़ भूमि का बंटवारा करके अलग-अलग ऋण पुस्तिका बनवाई गई। बहनों ने भूमि पर हिस्सा न लेना स्वीकार किया तथा ग्राम करंजा में केवल एक एकड़ भूमि प्राप्त कर संतुष्ट हो जाना प्रकट किया। वादीगण अनावश्यक रूप से विवाद कर रहे हैं। सभी पक्षकार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। अगर प्रकरण चलने के दौरान वादीगण के आवेदन के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 को भूमि का हस्तांतरण करने से रोका गया तो प्रतिवादी क्रमांक-1 को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ेगा और उसे अपूर्ण क्षति की संभावना है। ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया जावे।

08— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

- (1)– क्या वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?
- (2)– सुविधा का संतुलन ?
- (3)– अपूर्ण क्षति ?

—:: विवेचन एवं निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

09— वादीगण की ओर से तर्क के दौरान बताया गया है कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवेदन स्वीकार किया जावे।

10— प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से तर्क के दौरान निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद अवधि-बाधित है, पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से भूमियों का विभाजन कई वर्षों पूर्व हो गया था उसी मुताबिक राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराया गया है, नामांतरण से किसी का स्वत्व प्रभावित नहीं होता है, अगर भूमियों का हस्तांतरण करने में रोक लगाई जाती है तो प्रतिवादी क्रमांक-1 को असुविधा होगी। अतः निवेदन किया गया है कि वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया जावे।

11— प्रकरण में वादीगण की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें चेतन की मृत्यु दिनांक 20.2.2015 को हो जाने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिकारी अभिलेख वर्ष 1954-55 का पेश किया गया है जिसमें केशोराव वल्द सीताराम के नाम दर्ज भूमियों का उल्लेख है। ग्राम पालडोंगरी का अधिकार अभिलेख वर्ष 1995 का प्रस्तुत किया गया है जिसमें केशोराव का नाम दर्ज है। खसरा पांचसाला वर्ष 94-95 से 98-99 का प्रस्तुत किया गया है जिसमें भुनेश्वर के नाम का अलग उल्लेख है, यादोराव के नाम का अलग उल्लेख है तथा जनकराम, भुनेश्वर का भी खाता है, साथ ही भुनेश्वर वगैरह के सम्मिलित नाम का भी खाता है। समय-समय पर जो तब्दिलात मंजूर हुए उसका भी उल्लेख खसरे के अन्य कॉलम में है। उक्त राजस्व अभिलेख ग्राम पालडोंगरी की भूमि के संबंध में है।

12— ग्राम करेंजा में स्थित भूमि ज्ञानाबाई के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है इस बाबत 1954-55 की जमाबंदी पेश की गई है। वर्ष 78-79 से 82-83 का खसरा भी प्रस्तुत किया गया है और ज्ञानाबाई की मृत्यु उपरांत जो तब्दिलात हुए हैं उसका भी उल्लेख है। न्यायालय नायब तहसीलदार लांजी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-4/अ-27/09-10 भुनेश्वर लोधी वि० चेतन वगैरह के मामले में जो बंटवारा आदेश दिनांक 31.10.2011 को प्राप्त हुआ उसकी सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके मुताबिक वादग्रस्त भूमि को उभय पक्ष की पैतृक सम्पत्ति होना मान्य किया गया है एवं उनके बीच बंटवारा किया जाना भी स्वीकार किया गया है। विक्रय की गई भूमियों का भी उल्लेख है। पालडोंगरी की भूमि का बंटवारा स्वीकृत किया गया है। फर्द बंटवारा के संबंध में प्रपत्रों की सत्यप्रतिलिपि भी पेश की गई है। अनुविभागीय अधिकारी लांजी के आदेश दिनांक 17.2.2014 की सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है जिसमें पटवारी के द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा दिनांक 3.4.2013 को स्वीकार किया गया है।

13— बंटाक कार्यवाही के संबंध में भुनेश्वर द्वारा प्रस्तुत आवेदन नायब तहसीलदार लांजी के न्यायालय में रा.प्र.क्र.-8/अ-6-अ/14-15 के रूप में दर्ज किया गया और आदेश दिनांक 16.4.2015 के मुताबिक नक्शा तर्मीम किया जाना आदेशित किया गया। नक्शे की नकल प्रस्तुत की गई है एवं अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं।

14— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है। पक्षकारों के बीच राजस्व न्यायालय में चल कार्यवाही के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उससे प्रकट होता है कि पक्षकारों के बीच भूमियों का बंटवारा किया जाना स्वीकार किया गया है। बंटान की कार्यवाही भी हो चुकी है, वादीगण के द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ-साथ बंटवारा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु भी प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों के बीच पैतृक सम्पत्ति एवं ज्ञानाबाई के माध्यम से आई सम्पत्ति का विवाद है। वास्तव में राजस्व न्यायालय में चली कार्यवाही के मुताबिक वैध बंटवारा हुआ है

इसका निराकरण इस स्तर पर हो पाना संभव नहीं है। मामले में स्वत्व संबंधी एवं हिस्से के संबंध में गूढ़ प्रश्न अंतरग्रस्त है। कुछ भूमियाँ वर्तमान में भी सम्मिलित खाते में दर्ज है ऐसी स्थिति में जहाँ वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान होना प्रकट होता है वहीं प्रतिवादी भुनेश्वर का पक्ष भी सारवान होना पाया जाता है। प्रकरण चलने के दौरान कोई भी पक्ष किसी भी माध्यम से भूमि का हस्तांतरण करेगा उससे वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी, प्रकरण में प्रभावी आज्ञा पारित हो पाना सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण का वाद सबल एवं सारवान है साथ ही प्रतिवादी क्रमांक-1 का पक्ष भी सारवान होना पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

15— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि पक्षकारों के बीच पैतृक भूमि को लेकर एवं ज्ञानाबाई के माध्यम से प्राप्त हुई भूमि को लेकर हुए बंटवारा के संबंध में विवाद है। कुछ भूमि वर्तमान में भी सम्मिलित खाते में दर्ज है ऐसी स्थिति में अगर प्रकरण चलने के दौरान कोई भी पक्ष अपना हिस्सा बताकर भूमि का विक्रय करता है तो उभय पक्ष को असुविधा होने के साथ-साथ अपूर्णीय क्षति होने की संभावना परिलक्षित होती है। फिर भी यहाँ यह विचार किए जाने योग्य प्रश्न है कि अगर किसी पक्ष के समक्ष समाधानकारक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उसे भूमि का हस्तांतरण करने की आवश्यकता होती है तो फिर ऐसा पक्ष न्यायालय के समक्ष आवेदन देकर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में अनुमति प्राप्त कर सकता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन उपरांत पाया गया कि सुविधा का संतुलन एवं उभय पक्ष के मध्य है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन उपरांत पाया गया कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है, साथ ही साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 का पक्ष भी सारवान होना पाया गया है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्ष के मध्य होना पाया गया है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम

1 व 2 सी.पी.सी. (आई.ए.नंबर-1) का निराकरण करते हुए निम्नाशय का आदेश प्रकरण के अंतिम निराकरण तक या अग्रिम आदेशपर्यन्त तक के लिए प्रभावी किया जाता है :-

(1)- उभय पक्षकार वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम पालडोंगरी एवं करेंजा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित है जिसका वर्णन क्रमशः वादपत्र की कंडिका-3, 4, 5 एवं 6 में किया गया है का हस्तांतरण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरीके से न करें। आदेश के पूर्व जो हस्तांतरण हो चुके हैं उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(2)- उभय पक्षकार न्यायालय के अनुमति के बिना वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण किसी भी तरीके से किसी अन्य के पक्ष में या आपस में या बेनामी तौर पर नहीं करेंगे। इस संबंध में उभय पक्ष सात दिवस के अंदर संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक पचास-पचास हजार रूपए का बंधपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें जिसमें ऐसा उल्लेख किया जावे कि उभय पक्षकार न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। तथा किसी भी पक्ष के द्वारा किसी प्रकार की क्षति होना प्रमाणित की जाती है तो न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक क्षतिपूर्ति करने के लिए तत्पर एवं तैयार रहेंगे।

(3)- इस आदेश का प्रभाव प्रकरण में पारित किए जाने वाले निर्णय के गुण-दोष पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही-

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
बालाघाट (म.प्र.)

सही-

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)